# राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एंव भू विज्ञान विभाग कोटा
खनिज भवन, टैगोर नगर प्लाट नम्बर 3, रावतभाटा रोड़ कोटा
E mail ID - me.kota@rajasthan.gov.in

क्रमांक :–खअ/कोटा/अवैध खनन् ./2020/183

दिनांक :–9/6/2020

## प्रेस विज्ञप्ति

कोटा जिले में विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध खन्न /निर्गमन चैकिंग के दौरान जब्तशुदा खनिज बजरी की नीलामी हेतु सीलबन्द लिफाफे में निविदाये दिनांक 24.6.2020 (सायंकाल 5 बजे तक) कार्यालय खनि अभियन्ता कोटा (खनिज भवन, टैगोर नगर प्लाट नम्बर 3, रावतभाटा रोड़ कोटा) के कमरा नम्बर 115 में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त सीलबन्द लिफाफे कमेटी द्वारा दिनांक 25.6.2020 को प्रातः 11 बजे उपस्थित निविदादाताओ के समक्ष कार्यालय के कमरा नम्बर 115 में खोली जायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

| क्रम संख्या | स्थान का विवरण (जहॉ जप्तशुदा बजरी पड़ी है) | बजरी की अनुमानित मात्रा(टनों में) | बयाना/अमानत राशि रू0 | न्यूनतम् निविदा राशि (रू.) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | नयापुरा उम्मेद सिंह स्टेडियम कोटा | 1615 टन | 104975 | 1049750 |
| 2. | कल्पना चॉवला पुलिया, के पास कोटा | 700 टन | 45500 | 455000 |
| 3. | मुकन्दरा आवसीय योजना ,कोटा | 350 टन | 22750 | 227500 |
| 4. | रामचरण सर्किल, कोटा | 60 टन | 3900 | 39000 |
| 5. | मण्डाना ,जिला कोटा | 100 टन | 6500 | 65000 |
| 6 | ग्राम गलाना तह0 लाडपुरा ,जिला कोटा | 20 टन | 1300 | 13000 |
| 7 | रेलवे ऑवरब्रिज कुन्हाड़ी , कोटा | 480 टन | 31200 | 312000 |
| 8 | ईटावा तह. पिपल्दा जिला कोटा | 60 टन | 3900 | 39000 |
| 9 | ईटावा गैतामा रोड़ तह0 पिपल्दा ,जिला कोटा | 80 टन | 5200 | 52000 |
| 10 | बस स्टेण्ड़ ईटावा तह0पिपल्दा ,जिला कोटा | 120 टन | 7800 | 78000 |
| 11 | बस स्टेण्ड ईटावा तह पिपल्दा ,जिला कोटा | 50टन( काली बजरी ) | 2250 | 22500 |
| 12 | पुलिस थाना रामगंजमण्डी ,जिला कोटा | 95टन( काली बजरी ) | 4275 | 42750 |
| 13 | निकट ग्राम आमली( नदी किनारे )तह. सांगोद ,जिला कोटा | 1000टन (काली बजरी ) | 45000 | 450000 |

नोटः–खनिज बजरी नीलामी की शर्ते विभागीय कार्यालयों (, खनि ,अभियन्ता , कोटा/रामगंजमण्डी) एंव विभागीय वेबसाइट पर Mines.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है ।

( जगदीश चन्द्र मेरावत)
खनि अभियन्ता कोटा/रामगंजमण्डी

Scanned with CamSca

**नीलामी कार्यवाही हेतु शर्ते निम्नानुसार रहैगी:–**

1. निविदा सीलबन्द लिफाफें में प्रस्तुत करनी होगी । लिफाफें पर स्पष्ट रूप से पुलिस थाना/क्षैत्र /स्थल का नाम जहाँ बजरी पड़ी है, लिखा होना चाहिये । सभी निविदायें कार्यालय खनि अभियन्ता कोटा के कमरा नम्बर 115 पर रखें टेन्डर बोक्स में दिनांक 24.6.2020 (सांयकाल 5 बजे ) तक डाली जा सकेगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ उपर वर्णितानुसार बयाना /अमानत राशि का ड़िमाण्ड ड्राफ्ट /बेकर्स चैक जो संबंधित खनि अभियन्ता कोटा/रामगंजमण्ड़ी के नाम हो , निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा । यदि कोई निविदादाता अलग–अलग थाना परिसर/ चौकी /स्थल की बजरी के लिये निविदा प्रस्तुत करता है, तो बयाना/अमानत राशि के ड़िमाण्ड ड्राफ्ट /बेकर्स चैक अलग–अलग ही संलग्न करने होगे। निविदा राशि 10 रू प्रति टन के गुणक में ही मान्य होगी
3. निविदा पत्र के साथ इस आश्य का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा , कि निविदादाता या निविदादाता फर्म, फर्म के भागीदारों /कम्पनी , कम्पनी के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्व विभाग की कोई राशि बकाया नही है।
4. जब्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एंव मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथी से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में संबंधित थाना /चौकी /क्षैत्र/स्थल पर की जा सकती है। इसकी जानकारी कार्यालय खनि अभियन्ता कोटा/रामगंजमण्ड़ी के तकनिकी स्टाफ से ली जा सकती है।
5. जब्तशुदा बजरी संबंधित थाना /चौकी /क्षैत्र/स्थल में जेसी भी जितनी भी , जॅहा भी है , उसी स्थिती में सफल निविदादाता को सुपूर्द की जावेगी ।
6. प्राप्त निविदाये कमेटी द्वारा दिनांक 25.6.2020 को प्रातः 11 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कार्यालय खनि अभियन्ता कोटा के कमरा नम्बर 115 में खोली जाकर उच्चतम निविदादाता की घोषणा की जावेगी एंव उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। आदेश प्राप्ति के तीन कार्यदिवस में सम्पूर्ण निविदा राशि के डीडी के साथ –साथ GST/TCS संबंधित बजटमद में जमा कराकर चालान की प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी । राशि जमा होने की तिथी से अधिकतम् 10 दिवस में समस्त बजरी उठानी होगी । अन्यथा जमा बयाना/अमानत राशि जप्त करते हुये बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जावेगी ।
7. निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक के उठाने की कार्यवाही( लोडिंग, अनलोडिंग, मजदूरी व परिवहन इत्यादि अन्य खर्चे) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय निविदादाता का ही होगा।
8. निविदादाता को पहचान पत्र/फोटो आई डी इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा, एवं मुख्त्यारनामा यदि जारी किया गया हो तथा कम्पन्नी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशकों की सूची इत्यादि की प्रति साथ में लानी होगी।
9. निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी ।
10. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उर्ज /आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेठी के पास सुरक्षित होग एंव किसी भी न्यायिक वाद की स्थिति में न्यायिक क्षैत्र कोटा होगा ।
11. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरान्त कार्यालय खनि अभियन्ता कोटा /रामगंजमण्ड़ी द्वारा वाहन के वनज क्षमतानुसार रवन्ना जारी किये जायेगें तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी । कोई भी खनिज बजरी से भरा वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नही किया जा सकेगा।

Scanned with CamSca

12. तुलाई के बाद वाहनों निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जावेगा। स्टॉक के बेलेन्स की गणना कर रजिस्टर की फोटो संबंधित खनि अभियन्ता ,अधीक्षण खनि अभियन्ता एंव अधीक्षण खनि अभियन्ता(सतर्कता)को व्हाटसप पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी ।
13. नीलामी की गई बजरी का पुनः भण्डारण /परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफलतम निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयोगीत स्थान पर परिवहन करेगा।
14. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः निलामी कर सकेगा। और इस संबंध में सफल निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
15. शेष सभी शर्ते सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियमों के अनुसार रहेगी ।

( जगदीश चन्द्र मेरावत)
खनि अभियन्ता कोटा/रामगंजमण्डी

क्रमांक :–खअ/कोटा/अवैध खनन्/2020/185-205
दिनांक :–9/6/2020.

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय कोटा।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक शहर/ग्रामीण
3. श्रीमान निदेशक महोदय, निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग,राजस्थान, उदयपुर।
4. नोडल अधिकरी डी.एम.जी.आ.एम.एस निदेशालय खान एंव भू विज्ञान विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (खान) कोटा जोन कोटा ।
6. अधीक्षण खनि अभियन्ता कोटा वृत– कोटा।
7. अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) कोटा वृत– कोटा।
8. खनि अभियन्ता रामगंजमण्ड़ी ।
9. थाना अधिकारी पुलिस थाना इटावा/खातोली/विज्ञान नगर /गुमानपुरा कोटा/आर.के. पुरम/अन्नतपुरा/मण्ड़ाना/कैथून/कुन्हाड़ी/उघोगनगर रामगंजमण्ड़ी.
10. सहायक लेखाधिकारी कार्यालय हाजा।
11. तकनिकी स्टाफ कोटा/रामगंजमण्ड़ी को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

( जगदीश चन्द्र मेरावत)
खनि अभियन्ता कोटा/रामगंजमण्डी

Scanned with CamSca